उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-91/2015/713/71-1-2015-जी-36/2015
लखनऊ : दिनांक 08 अप्रैल, 2015
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 मधु डबराल, सेवानिवृत्त आचार्य, एस0पी0एम0 विभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संविदा के आधार पर नियुक्त/तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2015/550, दिनॉक 07-04-2015 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय डा0 मधु डबराल, सेवानिवृत्त आचार्य, एस0पी0एम0 विभाग, मेडिकल कालेज, झाँसी को मेडिकल कालेज, आजमगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में रिक्त सहआचार्य के पद पर संविदा के आधार पर शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार 01 वर्ष अथवा नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले उक्त चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगी
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगी।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगी।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगी।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ की हकदार न होंगी।
(6) स्थानान्तरित नहीं की जायेंगी।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगी, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगी।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008, शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 तथा शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-1-2014-जी-63/08, दिनॉक 22-01-2015 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 91/2015/713(1)/71-1-2015- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आजमगढ़।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।